फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
बीरबल s/o सुमार, जाति मेघवाल, नि. पादरिया, तह. रामसर जि. बाड़मेर, राज. / बहैसियत आम मुख्तीयार श्री नूर खां पुत्र समदे खां, जाति सिंधि मुसलमान, निवासी		तहसीलदार (भूअभिलेख) सोजत

किस्म मुकदूमाः– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 एल.आर.एक्ट. 1956 मु0न0 68/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुआ।
22/06/21	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिववक्ता प्राथीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 110, 111, 128 एल आर एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/06/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत उपखण्ड अधिकारी सोजत	
25/06/2021	अधिवक्ता प्रार्थी उप०। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उप० अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त सा.मि. है। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रा० पत्र पेश किया की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई शामिल मिसल हो। बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तह० सोजत सुनी गई व समायत की गई। 1. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम खामल तहसील सोजत में ख.न. 321 रकबा 0.1400 है० खसरा नम्बर 323/1159 रकबा 1.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 322/1161 रकबा 1.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 324/1160 रकबा 1.7700 किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 04 रकबा 5.0100 है० की कृषि भूमि प्रार्थी बीरबल की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के सम्बन्ध में प्रार्थी बीरबल के द्वारा श्री नूर खां पुत्र समदे खां को उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध की देखरेख, काश्त, सीमाज्ञान, [illegible] न्यायालय में कार्यवाहीयां इत्यादि के सम्बन्ध में दिनांक 09/10/2012 को आम मुख्तीयार के जरिये अधिकृत किया हुआ है तथा आज भी उक्त आम मुख्तीयारनामा के जरिये अधिकृत है। प्रार्थी बीरबल की कृषि भूमि का वह एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात कृषि भूमि के सम्बन्ध में पड़ौसी	

उपखण्ड अधिकारी सोजत

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
	अन्य सह खातेदारान के द्वारा मौके पर प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान एवं मुराम कायम नहीं होने के कारण से मांठों को लेकर प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के मध्य हमेशा मन मुटाव होता रहता है जिसके कारण आये दिन प्रार्थी एवं अन्य पड़ोसी खातेदारान के बीच खेत की मांठ एवं चौरा, कब्जा काश्त को लेकर सीमा को लेकर विवाद होता रहता है तथा प्रार्थी की भूमि के पड़ोस में स्थित भूमियो के खातेदारान जबरदस्ती नहीं लकड़ी के बल पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करने पर उतारू रहता है 2. प्रार्थी की भूमि के सम्बंध में मांठो को लेकर हर समय विवाद होने की संभावना होने पर प्रार्थी के आम मुख्तियार के द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष भी सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया किन्तु सम्बंधित पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर अन्य पड़ोसी खातेदारान के द्वारा मौके पर विवाद होने के कारण आज तक उक्त भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी नहीं हो सकी ना ही सीमाज्ञान किया गया। 3. इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मौजा खामल के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.1400 हैक्टर ख.नं० 323/1159 रकबा 1.4800 है० ख.न. 322/1161 रकबा 1.6200 हैक्टर ख.न. 322/1160 रकबा 1.7700 हैक्टर किस्म बारानी सम्बद्ध कुल किता 4 कुल रकबा 5.0100 हैक्टर भूमि का सीमांकन कर पत्थर गढ़ी के जरिये मुराम लगवाने का निवेदन किया। 4. बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये वादग्रस्त/प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की भूमि की मांठो को लेकर पड़ोसी खातेदारो से मन मुटाव व विवाद होने से उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थर गढ़ी के जरिये मुराम लगाये जाने हेतु प्रस्तुत की। [illegible] जवाब में तहसीलदार सोजत ने वादग्रस्त/प्रार्थित भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्पष्ट किया। 5. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर बहस बहुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। [illegible] एवं शहर में स्थित, आम मुख्तियार उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है यदि वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी	

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के जरिये मुरब्बा लगाये जाते है तो किसी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु सीमाज्ञान होने से खातेदारों को अपनी भूमि का सही ज्ञान हो सकेगा फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढी व मुरब्बा कायम किये जाने हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।	
	-!! आदेश !! -	
	अतः प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है कि राजस्व मौजा खामल के ख.नं. 321 रकबा 0.1400 है. ख.नं. 323/1159 रकबा 1.4800 है. ख.नं. 322/1161 रकबा 1.6200 है. ख.नं. 322/1160 रकबा 1.7700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.0100 हैक्टर भूमि का सीमाकन, पैमाइश रकबा पत्थरगढी करवाये जाने एवं मुरब्बा सावाकार मौके पर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार सोजत के नेतृत्व में सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक, पटवारी एवं अन्य पटवारी की संयुक्त टीम का गठन करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली कायम नुमार केस नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता शामिल दफ्तर/ रेकर्ड आगार जमा हो।	
	(दौलतराम चौधरी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सोजत	
	निर्णय आज दिनांक 25/6/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।	
	(दौलतराम चौधरी) उपखण्ड अधिकारी उप खण्ड अधिकारी सोजत	

Scanned with CamScanner